मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 7/8/छै:/01/64 भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2001

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश,

विषय :– शासन द्वारा संधारित मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति के अधिकार।

संदर्भ :–इस विभाग की विज्ञप्ति क्र. 168–2138–छै:–86, दिनांक 10–2–1987.

कृपया संदर्भित विज्ञप्ति का अवलोकन करें। संदर्भित विज्ञप्ति द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को देवस्थानी पुजारियों एंव कथावाचकों की नियुक्ति, पृथक्करण तथा उनके नामान्तरण के लिये अधिकृत किया गया है।

2 राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि शासन द्वारा संधारित मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति के लिये संबंधित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को अधिकृत किया जावे।

3 संदर्भित विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन करते हुए शासन द्वारा संधारित मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति के लिये अनुविभागीय अधिकारी के स्थान पर संबंधित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को अधिकृत किया जाता है। ऐसी नियुक्ति के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष की जा सकेगी तथा द्वितीय अपील संभागीय आयुक्त के समक्ष की जा सकेगी।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

हस्ता./–
(जे.एन.शर्मा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.